25/5/22

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सुनी गई बहस
पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील वादीगण
के मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम
डिक्री जारी कर बंटवारा किया जाने हेतु अनुरोध
किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार
डोलारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहलकार की तारी
	किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त रेफरल प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि उक्त खसरा नम्बरान में मौके पर प्लॉट्स की हुई है तथा अकृषि उपयोग में ली जा रही है चूंकि उक्त रेफरल प्रस्ताव में किसी विशेष खसरा नम्बर के अकृषि उपयोग होने का खुलासा नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेफरल प्रस्ताव वर्णित सम्पूर्ण भूमियों का अकृषि उपयोग हो रहा है अतः प्राप्त रेफरल प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः पटवारी को पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि से अकृषि उपयोग में ली जाने वाली भूमियों के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश करें। तारीख जारी हो पत्रावली कौशल कुमार रीडर नम्बर 1 पर दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ	